

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2020

**विषय :** ऐसी वस्तुओं, जिनके लिए पर्याप्त स्थाई क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा है और जिनके लिए पीपीपी-एमआईआई, आदेश, 2017 के अंतर्गत केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जानी है, हेतु "सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017" को लागू करना।

का.आ. 1427(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना (1) दिनांक 31.08.2018 जहाज निर्माण में निर्धारित स्थानीय सामग्री के बारे में और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की दिनांक 15.06.2017, 28.05.2018 तथा 29.05.2019 की अधिसूचना सं. 450121/2/2017-पीपी (बी.ई. II) के खंड-3 'क' के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 एवं आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से और भारत में माल और सेवा के विनिर्माण और उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पोत निर्माण की निम्नलिखित वस्तुओं को ऐसी मदों के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिनके लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता है तथा जिनके लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से ही सार्वजनिक खरीद की जानी है:

- क. रबर/स्टील फेंडर्स
  - ख. केबल इंस्टॉलेशन सामग्री (केबल रैक/सैडल/हेंगर/ट्रे आदि)
  - ग. ग्रैटिंग, चैकर्ड प्लेट्स
  - घ. हैंड टूल्स
  - ङ. केबल टाईल्स/केबल हैंगर्स
  - च. गैल्वनाईज्ड शीट
2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एसवाई-13017/4/2017-एसबीआर]

सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव (शिपिंग)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2020

**Subject:** Implementation of "Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017" regarding the items where there is sufficient local capacity in shipbuilding components and competition and where public procurement shall be done only from local suppliers

S.O. 1427(E).—In continuation of this Ministry's Notification (1) dated 31.08.2018 regarding prescribed local content in shipbuilding and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 notified vide Department For Promotion of Industry And Internal Trade (DPIIT) Notification No. 45021/2/2017-PP(B.E.II) dated 15.06.2017, 28.05.2018 and 29.05.2019, under clause 3(a) of PPP-MII Order, 2017 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India to enhance income and employment, the following items in shipbuilding are notified as items where there is sufficient local capacity and where public procurement is to be carried out only from local suppliers.

- a. Rubber/Steel Fenders
  - b. Cable Installation Material (Cable Rack/Saddle/Hanger/Tray etc)
  - c. Grating, Chequered Plates
  - d. Hand Tools
  - e. Cable Ties/Cable hangers
  - f. Galvanised Sheet
2. This issues with the approval of the Competent Authority.

[F. No. SY-13017/4/2017-SBR]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy. (Shipping)